

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 17.03.2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 16.03.2026 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0043/26 धारा 105/191(2)/115(2)/352 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.03.2026 को उ0नि0 जमालुद्दीन मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0043/26 धारा 105/191(2)/115(2)/352 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त शुभम यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी ग्राम मानपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष को बघोल चौराहा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1 .शुभम यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी ग्राम मानपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास -

1 .मु0अ0सं0 – 220/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना जंगीपुर गाजीपुर।

2 .मु0अ0सं0 0043/26 धारा 105/191(2)/115(2)/352 बीएनएस थाना जंगीपुर गाजीपुर।

02.थाना जमानियाँ पुलिस द्वारा 02 अदद पिकप वाहन पर वध हेतु ले जा रहे 03 अदद गोवंश के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 15.03.2026 को उ0नि0 अश्वनी प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त 01. राकेश कुमार पुत्र राम निवास राम निवासी ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चन्दौली 2.सुनील कुमार उर्फ रामभजन राम पुत्र सत्यनारायण राम निवासी ग्राम

अहिकौरा थाना धानापुर जनपद चन्दौली को हिरासत पुलिस लिया गया व 03 राशि गोवंश एवं 02 अदद पिकप वाहन बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया एवं गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व आपराधिक इतिहास -

01. राकेश कुमार पुत्र राम निवास राम निवासी ग्राम करजरा थाना धीना जनपद चन्दौली

(i) मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना जमानियाँ गाजीपुर

(ii) मु0अ0सं0 88/2017 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 307 भादवि थाना कन्दवा चन्दौली

2. सुनील कुमार उर्फ रामभजन राम पुत्र सत्यनारायण राम निवासी ग्राम अहिकौरा थाना धानापुर जनपद चन्दौली

(i) मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

बरामदगी-

(i) 03 राशि गोवंश (02 गाय, 01 बछड़ा)

(i) 02 अदद पिकप वाहन

03. थाना बरेसर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.03.2026 को 0उ0नि0 मो0 रुस्तम खान मय हमराह द्वारा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर के SST N0. 703/12 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना बरेसर जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित वारण्टी बब्लू सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी ग्राम औरैया भवदास थाना बरेसर गाजीपुर को ग्राम औरैया भवदास गांव के बाहर से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. बब्लू सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी ग्राम औरैया भवदास थाना बरेसर गाजीपुर, उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास निम्नवत है-

1. मु0अ0सं0 228/10 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना बरेसर गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर